सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्या: 283 / 1021 / 12–13 दिनांक:– 12 .05.2017

के मामले में:

श्री देवप्रकाश राम,
टि. सं. 419,
506, आर्मी बेस वर्कशाप, R972
जबलपुर, मध्य प्रदेश
ईमेल–<bhawya.akhila@gmail.com> ..... शिकायतकर्ता

बनाम

कमाडेन्ट,
506, आर्मी बेस वर्कशाप, R973
जबलपुर, मध्य प्रदेश
फोन – (0761) 2330866 / 6806
फैक्स –(0761) 2430466 ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीख: 05.08.2016, 11.11.2016, 23.12.2016 एवं 02.03.2017

उपस्थित:

05.08.2016
1. श्री देवप्रकाश राम, शिकायतकर्ता ।
2. श्री रोहताश वर्मा, 506 आर्मी बेस वर्कशाप,जबलपुर, प्रतिवादी की ओर से ।

11.11.2016
1. श्री देवप्रकाश राम, शिकायतकर्ता ।
2. श्री रोहताश वर्मा (ई.ई.), 506 आर्मी बेस वर्कशाप,जबलपुर, प्रतिवादी की ओर से ।

23.12.2016
शिकायतकर्ता एवं प्रतिवादी अनुपस्थित ।

02.03.2017
1.श्री देव प्रकाश राम, शिकायतकर्ता ।
2..सर्वश्री रोहताश वर्मा (ईई) एवं विजय कुमार उपाध्याय, प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, 50 प्रतिशत अस्थिबाधित ने नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात्

अधिनियम कहा गया है, के तहत रोस्टर के तहत उचित वरीयता प्रदान न कर प्रोन्नत किए जाने से संबंधित शिकायत दिनांक 29.01.2013 इस न्यायालय में प्रस्तुत की ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि वह दिनांक 21.11.2002 को निःशक्त कोटे के तहत 506 आर्मी बेस वर्कशाप में फिटर एस. के. में भर्ती हुए थे । विभाग द्वारा दिनांक 01.01. 2006 को उन्हें A/MECH HS II में प्रोन्नति दी गई । परन्तु रोस्टर के तहत निःशक्त कोटे में नहीं दी गई । उक्त प्रोन्नति हेतु जो वरीयता उन्हें दी जानी चाहिए थी वह उन्हें प्रदान न कर उनके कनिष्ठ कर्मचारी को प्रदान की गई । प्रार्थी के अनुसार उन्होंने कई बार अपने विभाग से पत्राचार किया । परन्तु आज तक उन्हें उक्त संदर्भ में न्याय नहीं मिला है । शिकायतकर्ता का कहना है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36035/1/2009–स्था. (आरक्षण) दिनांक 10.06.2009 के अनुसार उस तारीख से अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिस तारीख से वह अशक्तता वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है ।

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 23.05.2013 के द्वारा उठाया गया ।

4. प्रतिवादी ने अपने पत्र संख्या 20705/प्रोमोशन/एलबी दिनांक 26.03.2016 द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत पर अपने टिप्पण भेजे और शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 21.01.2016 द्वारा अपना रिज्वाइंडर भेजा ।

5. प्रतिवादी के पत्र दिनांक 26.03.2016 एवं शिकायतकर्ता के रिज्वाइंडर दिनांक 21.01.2016 के मद्देनजर मामले की सुनवाई दिनांक 05.08.2016 को निर्धारित की गई ।

KJC

6. दिनांक 05.08.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकता ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि दिनांक 21.11.2002 को विकलांग कोटे के तहत 506 आर्मी बेस वर्कशाप में फिटर एस. के. में उनकी भर्ती हुई थी । रोस्टर के हिसाब से उन्हें कोई प्रोन्नति नहीं दी गई है । 20.03.2003 से रोस्टर बनाया गया था । कुछ व्यक्तियों को लाभ दिया गया था लेकिन उनमें उनका नाम नहीं था । सुरेन्द्र चौरे जोकि अनुसूचित जाति कोटे में 2003 में उनसे जूनियर था, उसे सीनियर बनाया गया है । विभाग द्वारा जिस रोस्टर का अनुपालन किया गया है, वह गलत तरीके से पालन किया गया है । श्री एन.के. विश्वकर्मा, वीरेन्द्र सिंह, ठाकुर प्रसाद, आर. के. सोनी उक्त चारों कर्मचारी भर्ती में

उनसे वरिष्ठ हैं परन्तु सर्विस के दौरान दुर्घटना के कारण वे विकलांग हुए, जबकि वह दिनांक 21.11.2002 को विकलांगजन कोटे में ही भर्ती हुआ था, इसलिए रोस्टर के मुताबिक उसका नाम आगे होना चाहिए ।

7. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि उनके विभाग द्वारा दिए गए उत्तर दिनांक 26.03.2016 के अतिरिक्त वे पुनः इस बात को दोहराते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों पर और रक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 15.10.2012 के अनुपालन मे डिफैंस संस्थान में आर्टिज़न स्टाफ के कैडर का पुनर्गठन करते समय प्रोन्नति का लाभ देते समय आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नहीं किया गया था । तथापि, आरक्षण रोस्टर साधारण प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति आयोजित करते समय लागू होगा । रक्षा मंत्रालय के पत्र. दिनांक 14.06.2016 के उपबंधों के अधीन फायदा केवल 'एक बार' दिया जाना है जिसका शिकायतकर्ता द्वारा 01.01.2006 से 14.06.2010 की अवधि में ए/मकैनिक एचएस–।। की श्रेणी में पहले ही उपभोग किया जा चुका है ।

8. पक्षकारों की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरक्षण रोस्टर, उच्चतम न्यायालय का आदेश व रक्षा मंत्रालय का पत्र दिनांक 15.10.2012 प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिसके लिए प्रतिवादी ने समय प्रदान करने के लिए अनुरोध किया । न्यायालय ने प्रतिवादी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई के समय वे संबंधित आरक्षण रोस्टर, अन्य दस्तावेज़ तथा शिकायतकर्ता की प्रोन्नति के संबंध में अपना उत्तर न्यायालय में प्रस्तुत करें । मामले की अगली सुनवाई दिनांक 13.09.2016 को निर्धारित की गई जोकि पुनः 11.11.2016 को निर्धारित की गई ।

9. दिनांक 11.11.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि उसे एम.ए.सी.पी. उस समय प्रदान की गई जबकि उसका पदोन्नति का मामला विचाराधीन था तो प्रशासन ने उसे एम.ए.सी.पी. कैसे प्रदान की । HS-1 और MCM पदों में दिव्यांगजन की रिक्तियां कहां–कहां भरी गई, इसका पूरा आरक्षण रोस्टर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए ।

10.. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि नियुक्ति के समय विकलांगता प्रमाणपत्र न दिए जाने से अभ्यर्थी विकलांगता का फायदा लेने से वंचित हो जाता है । शिकायतकर्ता ने एम.ए.सी.पी. ग्रेड पे 2800/– रूपए के लिए आप्ट किया था और उसने

स्वयं आप्शन दी थी । यदि वह पदोन्नति के दावे के लिए लड़ रहा है तो उसे आप्शन नहीं देनी चाहिए थी । रिस्ट्रक्चरिंग के दौरान आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होता । वर्ष 2003 में रिस्ट्रक्चरिंग के दौरान आरक्षण रोस्टर लागू करते हुए शिकायतकर्ता से कनिष्ठ चारों को पदोन्नत किया गया । स्ट्रीमलाइन करने के लिए साधारण ज्येष्ठता पर विशुद्धतः रिस्ट्रक्चरिंग का पुनरीक्षण करना होगा जिससे चारों के साथ ही साथ शिकायतकर्ता को पदोन्नति से वंचित होना पड़ेगा । इस अवधि के दौरान आरक्षण शोषित होगा । वर्तमान समय में सेवा पुस्तिकाएं इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । वास्तव में ये सातवें वेतन आयोग और अन्य संबंधित दस्तावेज़ो के साथ संलग्न है । सुसंगत समय के आरक्षण रोस्टरों का पता लगाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने न्यायालय से एक मास का समय प्रदान करने का अनुरोध किया ।

11. न्यायालय ने प्रतिवादी कें अनुरोध को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि मामले की अगली सुनवाई के समय वे संबंधित आरक्षण रोस्टर, अन्य दस्तावेज़ तथा शिकायतकर्ता की पदोन्नति के संबंध में अपना उत्तर न्यायालय में प्रस्तुत करें । मामले की अगली सुनवाई दिनांक 23.12.2016 को निर्धारित की गई ।

12. दिनांक 23.12.2016 को शिकायतकर्ता और प्रतिवादी की ओर से सुनवाई में भाग लेने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उन्होंने सुनवाई में भाग लेने में अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया जबकि सुनवाई के लिए सूचना इस न्यायालय की कार्यवाहियों के अभिलेख दिनांक 20.12.2016 द्वारा स्पीड डाक से भेजी गई थी ।

13. पक्षकारो की ओर से मामले में अपने पक्षकथन के समर्थन में न तो उपस्थित होने और न ही सुनवाई में भाग लेने के लिए अपनी असमर्थता के बारे सूचित करने में दर्शित पूर्ण उपेक्षा को इस न्यायालय ने गंभीरता से लिया ।

14. पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि वे मामले की अगली सुनवाई दिनांक 02.03.2017 को 1500 बजे अपराह्न इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्षकथन रखें । सुनवाई में भाग न लेने की दशा में यह न्यायालय या तो उपलब्ध अभिलेख के आधार पर शिकायत का विनिश्चय करने अथवा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 63 के अधीन पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने के लिए बाध्य होगा ।

15. दिनांक 02.03.2017 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने स्थापना अधिकारी, एलबी अनुभाग के सर्विस नोट संख्या 20705/प्रोमोशन/एलबी दिनांक 31.08.2010 का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया है कि जब भी विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाएगी तो शिकायतकर्ता को विकलांगजन कोटा के के अधीन अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति प्रदान करने के लिए उसके मामले पर नियमानुसार अपेक्षा पात्रता सहित विचार किया जाएगा । शिकायतकर्ता ने निवेदन किया कि लगभग 7 वर्ष बीत चुके है जब उसकी स्थापना ने पत्र दिनांक 31.08.2010 द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उसके मामले पर अगले ग्रेड में प्रोन्नति प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा ।

16. प्रतिवादी के प्रतिनिधि ने लिखित कथन दिनांक 01.03.2017 द्वारा निवेदन किया कि श्री देव प्रकाश राम कीं नियुक्ति उनकी वर्कशाप में दिनांक 21.11.2002 को विकलांगजन कोटा में फिटर ट्रेड (स्किल्ड) में हुई थी और उनका सेवा में स्थायीकरण दिनांक 21.11.2004 को हुआ था। दिनांक 20.05.2003 को कारीगर स्टाफ के कैडर में पुनर्गठन के दौरान आरक्षण रोस्टर लागू किया गया और श्री सुरेन्द्र चौरे (अनुसूचित जाति) को लाभ प्राप्त हुआ बजाय इसके कि वह शिकायतकर्ता से कनिष्ठ था । उक्त पुनर्गठन में आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होता और पात्र. व्यक्तियों को विशुद्धतः वरिष्ठता के आधार पर उच्चतर ग्रेड दिया जाता है । श्री एस.के. चोरे और शिकायतकर्ता जैसे व्यक्ति परिवीक्षाधीन थे और इसलिए अगले ग्रेड के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा । तथापि शिकायतकर्ता को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11(5)/2009–डी (Civ-)। दिनांक 14.06.2010 के उपबंधों के अधीन ए/मकैनिक एचएस।। का अगला उच्चतर ग्रेड वरिष्ठता के आधार पर दिनांक 01.1.2006 को उनकी सामान्य प्रोन्नति से बहुत पहले दे दिया गया था । प्रतिवादी के प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि शिकायतकर्ता द्वारा वर्णित व्यक्ति अर्थात् श्री एन.के. विश्वकर्मा,श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री आर.के. सोनी को आरक्षण की किसी प्रासंगिकता के बिना उनके अपनी वरिष्ठताक्रम में अगले ग्रेड ए/मैकेनिक एचएच । रखा गया है, क्योंकि आरक्षण 01.01.2006 से 14.06.2010 की पुनर्गठन अवधि के दौरान लागू नहीं होता है । नए भर्ती नियम (एसआरओ 54/2014) लागू होने पर ए/मकैनिक एचएस। की 42 रिक्तियों को भरने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई थी । विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के समय इस प्रोन्नति कैडर (ए/मकैनिक एचएस।) पहले से पूर्ण की गई संख्या 133 थी । तद्नुसार विकलांगजन

कोटा 3 प्रतिशत के हिसाब से 4 बनता है (प्रत्येक ब्लाक में फैलाते हुए 1–33, 34–66, 67–100 और 100–133) । विकलांगजनों की तुलनात्मक सारणी इस प्रकार है:–

S. No	Particulars	Date of Appt & Promotion	Date of PH	Remarks
(a)	T.No.468 A/Mech HS-I NK Vishwakarma	01 Jan 1983 – A/Mate 01 Jan 1986 – Armr 11 May 1996 – A/Mech HS-II 01 Jan 2006-A/Mech HS-I	19 Feb 2008	O/H
(b)	T. No.839 A/Mech HS-I Bhola Ram Rajak	02 May 1985 – A/Mate 02 May 1988 – Armr 11 Dec 1997-A/Mech HS-II 01/04/2006-A/Mech HS-I	09 Mar 2012	O/H
(c)	T. No.107 A/Mech HS-I Virendra Singh	01 Jul 1985 – F/Mate 01 Mar 1988 – Ftr SK 18 June 1996 – HS-II 18 June 1999 – A/Mech HS-II 14 Jan 2007 – A/Mech HS-I	07 Feb 1986	O/H
(d)	T. No. 1850 A/Mech HS-I Thakur Prasad	16 Aug 1984 – Lab 16 Aug 1987 – A/Mate 16 Aug 1990 – Armr 05 Aug 2000 – A/Mech HS-II 28 Jul 2009 – A/Mech HS-II	16 Dec 2007	O/H
(e)	T. No. 419 A/Mech HS-II Deo Prakash Ram	21 Nov 2002 – Ftr SK 01 Jan 2006 A/Mech HS-II	21 Nov 2002	O/H Appointed on 21 Nov 2002 as Fitter Skilled

17. पक्षकारों को सुनने तथा उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की अगले उच्चतर पद पर प्रोन्नति हेतु वर्तमान नियमों के अधीन विचार करे और इस आदेश की प्राप्ति के दो महीने के अन्दर इसकी अनुपालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भेजे ।

18. तदनुसार आदेश किया गया ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन